मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 221/2019 वाद
GCMS NO.- 2019/00579

1. फुलाबाई पिता नाथुसिंह एवं पत्नी करणसिंह जाति राजपुत आयु 55 वर्ष निवासी सरलाई हा0मु0 धनेरिया खुर्द तह0 व जिला नीमच म0प्र0।
2. सदाबाई पिता नाथुसिंह एवं पत्नि मदनसिंह जाति राजपुत आयु 60 वर्ष निवासी सरलई हा0 मु0 मांगरोल तह0व जिला नीमच म0प्र0

– वादी

//बनाम//

1. बलवन्तसिंह पिता नाथुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क, निवासी सरलई तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0
2. जवानसिंह पिता नाथुसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क, निवासी सरलई तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 53,188 रा.का.अधि.
श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित

प्रकरण में दिनांक 28.12.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि वाके मौजा सरलाई प0ह0 कोटडीकंला तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 81 की आराजी नं0 398, 414, 415, 416 कुल किता 04 कुल रकबा 2.7500 है0 भूमि एवं खाता संख्या 82 की आराजी नं0 417, 419 कुल किता 2 कुल रकबा 2.7200 है0 भूमि का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कर वादीगण का हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज करते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में बदस्तूर शामिल रखते हुए अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें तथा पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/464 दिनांक 24.05.2021 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो मौके पर आदेशानुसार है अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। प्रश्नगत आराजीयात मौजा सरलाई प0ह0 कोटड़ीकला का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:22:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

1. श्री बलवन्त सिंह पिता नाथूसिंह 1/2 राजपूत सा0 खैरमालिया (म0प्र0) जवानसिंह पिता नाथूसिंह 1/2 राजपूत सा0 खैरमालिया (म0प्र0) खातेदार के रहेगी-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान रूपये में
398	0.96	चाही-3	18.24
414	0.01	गै0मु0 चाह	-
415	0.01	गै0मु0 चाह	-
416 (दक्षिण)	1.70	चाही-3	32.30
कुल किता 4 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर कुल लगान 50.54 रूपये			

2. श्रीमती फुलाबाई पिता नाथूसिंह पत्नी करणसिंह राजपूत हाल मुकाम धनेरिया खुर्द तहसील एवं जिला नीमच (म0प्र0) खातेदार के रहेगी -

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान रूपये में
417	1.34	चाही-3	25.46
कुल किता 1 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर कुल लगान 25.46 रूपये			

3. श्रीमती सदाबाई पिता नाथूसिंह पत्नि मदनसिंह राजपूत निवासी-मांगरोल तहसील एवं जिला नीमच (म0प्र0) खातेदार के रहेगी -

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान रूपये में
417	0.48	चाही-3	9.12
419	0.86	चाही-3	16.34
कुल किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर कुल लगान 25.48 रूपये			

4. श्री बलवन्त सिंह पिता नाथूसिंह 1/4 राजपूत, जवानसिंह पिता नाथूसिंह 1/4 राजपूत सा0 खैरमालिया हाल मुकाम सरलाई, फुलाबाई पिता नाथूसिंह पत्नी करणसिंह 1/4 राजपूत सा0 धनेरिया खुर्द (म0प्र0), सदाबाई पिता नाथूसिंह पत्नी मदनसिंह 1/4 राजपूत सा0 मांगरोल (म0प्र0) रास्ता रहेगा।

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान रूपये में
416	0.07	रास्ता	-
417	0.04	रास्ता	-
कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर, रास्ते में 0.11 है0 भूमि दर्ज होने से लगान में 2.09 रूपये की कमी होगी			

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:22:40 IST
Reason: Self Attested

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ... रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक ... खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल ... से कम हो।

यह आज तारीख 03.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी